

23



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2017 पुनरीक्षण

III/निगरानी/श्योपुर/भू.श/2017/4977

सुन्दरलाल पुत्र बिहारलाल कोली
निवासी-बडोदा रोड़, तहसील व जिला
श्योपुर म.प्र. ————— आवेदक

विरुद्ध

1. म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर जिला-श्योपुर
—————मूल अनावेदक
2. रामपति पत्नी रघुवीर जाति मीणा
3. काडी पत्नी रामस्वरूप जाति रावत
4. शिवप्रसाद पुत्र प्रभूलाल जाति रावत
5. सुग्रीव पुत्र प्रभूलाल जाति रावत
6. ब्रजेश पुत्र प्रभूलाल जाति रावत
7. त्रिवेणी देवी पुत्री फुन्दीलाल
8. मिश्री देवी पुत्री फुन्दीलाल
9. रमेश पुत्र लक्ष्मीनारायण
10. गायत्री पुत्री हरिप्रसाद
11. गिरधरगोपाल पुत्र हरिप्रसाद
निवासीगण गोठरा, तहसील-कराहल
जिला-श्योपुर म.प्र.
12. पिस्ताबाई पत्नी सुरेश
निवासी-जाखदा तहसील-कराहल
जिला-श्योपुर म.प्र.
13. संतोष पत्नी दिलावर
निवासी-सिलपुरी तहसील-कराहल
जिला-श्योपुर म.प्र.
14. लिथरू पुत्र चेतू
निवासी-जाखदा तहसील-कराहल
जिला-श्योपुर म.प्र.

—————औपचारिक अनावेदकगण

Mrs. Belapurkar
द्वारा आज दि. 8-12-2017 को
प्रस्तुत

कलेक्टर ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

CP 14-12-2017

M. Belapurkar
8-12-2017

प्राप्त
08/12/17
निगरानी मंडल, ग्वालियर

अपर कलेक्टर जिला-श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 10/2012-13/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29/08/2017 के विरुद्ध पुनरीक्षण अंतर्गत धारा-50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959.

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-दो/निगरानी/शयोपुर/भू.रा./2017/4977

सुन्दरलाल विरुद्ध म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमाषकों के हस्ताक्षर
6-08-2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर के प्रकरण क्रमांक 10/2012-13/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29-08-2017 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-9-2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त चम्बल संभाग के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>3/ पक्षकार दिनांक 09-09-2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(जे०के० जैन) सदस्य</p>